न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 164/2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गोमाराम पुत्र पेमाराम जाट निवासी बीजासर, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर		1. किस्तुराराम पुत्र भगवानाराम जाट 2. नानगाराम पुत्र भगवानाराम जाट (निवासी शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर) 3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन (बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12.2003 उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाड़मेर) राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 194/2003 बअनवान किस्तुराराम बनाम मुहीब वगैरा

उपस्थित–
1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 3
3. रेस्पो0सं0 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 9 .12.2025

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि तहसील चौहटन के ग्राम बींजासर के खसरा नम्बर 286, 341 व 345 कुल खसरा 3 कुल रकबा 130.15 बीघा स्थित है। जिसके सेढा–सेढ विप्रार्थीगण के खेत आए हुए है, जिनकी सेढो पर पुरानी माठ एवं कणे आंधियों की वजह से बिखर गये है, इस वजह से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य कब्जा काश्त को लेकर हमेशा विवाद रहता है। अतः प्रार्थी के उक्त खसरान की पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यथित होकर ने अपीलांट–विप्रार्थी सं0 9 ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर, अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे, लिहाजा बहस एकतरफा सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह कथन किया कि अपीलांट ग्राम बींजासर के खसरा नम्बर 283 व 285 के अभिलिखित खातेदार है। आरएलआर एक्ट की धारा 128 के तहत पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर देकर, उनकी मौजूदगी में धारा 111 के तहत निर्विवादित पेमाईश रिपोर्ट आने के पश्चात किसी खसरान की पत्थरगढी का आदेश पारित करने का प्रावधान है। आलौच्य प्रकरण में रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 283 व 285 के सभी सह–खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया, केवल एक व्यक्ति अपीलांट को ही पक्षकार बनाया गया, जिन्हें भी नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलाधीन कार्यवाही बहुत ही जल्दबाजी में कर, पुलिस इमदाद से 15 दिवस में पालना के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेश की आड़ में रेस्पो0–प्रार्थी जमाबंदी में दर्ज भूमि से अधिक अपीलांट की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार को भी पक्षकार नही बनाया गया है और न ही उनकी रिपोर्ट ली गइ। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में विधिसम्मत आदेश पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार चौहटन को पक्षकार नही बनाया गया है तथा निर्विवाद सीमाज्ञान रिपोर्ट का भी अभाव है। विधिनुसार इस प्रकार के प्रकरणों में तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाने का प्रावधान है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर विप्रार्थी सं0 7 का सम्मन तामिली रिपोर्ट के तथा शेष सभी सम्मन चस्पानगी

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रिपोर्ट के प्राप्त हुए है, जबकि अपीलांट इस मामले में सुनवाई चाहता है तथा अपीलांट के ख0नं0 283 व 285 के सभी सह–खातेदारान को पक्षकार नही बनाया जाना भी साबित है। अतः उक्त स्थिति में अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नही होने से अपास्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाड़मेर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 194/2003 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.12.2003 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 9-12-25. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

9/12/25.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर